सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 17.03.2023

दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खोड़ारे पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मु0अ0सं0- 27/2023 धारा 376, 316,323, 504 भादवि से सम्बन्धित वाछित अभियुक्त गुरुप्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना खोडारे क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को शादी का झासा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा गर्भवती होने पर महिला का गर्भपात कराया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना खोड़ारे में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. गुरुप्रसाद पुत्र रामफेर निवासी पेड़ार थाना पैकौलिया जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 27/2023 धारा 376, 316,323, 504 भादवि थाना खोडारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 प्रेमचन्द्र मय टीम।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 17.03.2023

मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना को0करनैलगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने के 02 आरोपी अभियुक्तों-01. अजीत कुमार सिंह उर्फ बाबू, 02. विनीत मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गाली-गुप्ता देते हुए मार-पीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था। जिसके सम्बन्घ में वादी द्वारा थाना कोतवाली करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कोतवाली करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अजीत कुमार सिंह उर्फ बाबू पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम मसौलिया कलहंसन पुरवा थाना को0करनैलगंज जनपद गोण्डा।

02. विनीत मिश्रा पुत्र रामप्रकाश मिश्रा निवासी ग्राम मसौलिया थाना को0कर्नैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-140/2023 धारा 323, 352, 504, 506, 452, 308 भादवि थाना को0करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 उमेश सिंह मय टीम ।

<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 17.03.2023</u>

<u>शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-</u>

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

<u>05 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-</u>

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना इटियाथोक पुलिस ने 02, थाना वजीरगंज पुलिस ने 01, थाना मनकापुर पुलिस ने 01, थाना मोतीगंज पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।